

महत्वपूर्ण गतिविधियां

"बुक बिल्डिंग" का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, जो निर्गमकर्ता द्वारा उसके द्वारा नियुक्त मर्चेट बैंकरों के माध्यम से विशिष्ट प्रतिभूतियों की मांग का पता लगाने और उनकी मात्रा या मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्य का पता लगाने के लिए अपनाई जाती है। किसी बुक बिल्ट सार्वजनिक निर्गम की बही संचालकों या उनके सिंडिकेट सदस्यों द्वारा अनिवार्य तौर पर खरीद करना अपेक्षित होता है। इसके अलावा, 08 जनवरी, 2010 को सेबी ने आईसीडीआर विनियमों के लिए एक संशोधन जारी किया है ताकि बुक बिल्डिंग पद्धति के विकल्प के तौर पर नीलामी पद्धति अपनाने में सुविधा हो, जिसकी नीचे और चर्चा की गई है।

निर्गमकर्ता मसौदा प्रोस्पेक्टस में मूल्य या मूल्य दायरे (निश्चित मूल्य के निर्गम के मामले में) तथा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में न्यूनतम मूल्य या मूल्य दायरे (बुक बिल्ट निर्गम के मामले में) का उल्लेख कर सकता है और कंपनियों के पंजीयक के पास प्रोस्पेक्टस का पंजीकरण करने से पहले मूल्य निर्धारित कर सकता है। यदि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में न्यूनतम मूल्य या मूल्य दायरे का उल्लेख न किया गया हो तो निर्गमकर्ता बोली खुलने (आईपीओ के मामले में) से कम से कम दो कार्यदिवस पहले और बोली खुलने (एफपीओ के मामले में) से कम से कम एक कार्यदिवस पहले उन सभी समाचार पत्रों में इसकी घोषणा करेगा, जिनमें निर्गम-पूर्व विज्ञापन जारी किया गया है। मूल्य दायरे की सीमा न्यूनतम मूल्य के कम या 120% के बराबर होगी।

उस आईपीओ के मामले में, जिसमें निर्गमकर्ता आईसीडीआर विनियमों के विनियम 26(2) के अधीन निर्गम करने के लिए पात्र हो, जहां सार्वजनिक निर्गम प्रतिभूति संविदा (विनियम) 1957 के नियम 19(2)(बी) के अधीन जनता को निर्गमकर्ता की न्यूनतम 10% प्रतिभूतियों की पेशकश के साथ किया जा रहा हो, वहां जनता को पेशकश की गई निवल प्रतिभूतियों में से न्यूनतम 60% प्रतिभूतियां अहर्ताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को अनिवार्य रूप से आबंटित की जानी अपेक्षित हैं। ऐसे निर्गम में खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों और गैर-संस्थागत निवेशकों को क्रमशः 30% और 10% प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाएगा।

विकल्पतः जहां निर्गमकर्ता आईसीडीआर विनियमों के विनियम 26(2) के अधीन आईपीओ जारी करने के लिए पात्र हो या उस आईपीओ के मामले में (जहां नियम 19(2)(बी) के अधीन शर्त लागू न हो) जनता को पेशकश की गई निवल प्रतिभूतियों में से न्यूनतम 50% प्रतिभूतियां अहर्ताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को आबंटित की जा सकती हैं। ऐसे निर्गम में खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों और गैर-संस्थागत निवेशकों को क्रमशः 35% और 15% से कम प्रतिभूतियां आबंटित नहीं की जाएगी। नियम 26(1) के अधीन पात्रता संबंधी आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:-

- निर्गमकर्ता के पास पिछले तीन पूरे वर्षों में प्रत्येक में न्यूनतम तीन करोड़ रुपए की मूर्त परिसंपत्तियां हों (जिनमें से अधिकतम 50% नकदी के रूप में हों या निर्गमकर्ता ने अतिरिक्त नकदीरूपी परिसंपत्तियों का अपने व्यवसाय या परियोजना में उपयोग करने की पक्की वचनबद्धता की हो)।

- निर्गमकर्ता का पिछले पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों में कंपनी अधिनियम के खण्ड 205 के निबंधनों के अनुसार वितरण योग्य लाभ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो। निर्गमकर्ता के पास पिछले तीन पूरे वर्षों में प्रत्येक में न्यूनतम एक करेाड रुपए की निवल संपत्ति रही हो। प्रस्तावित निर्गम तथा किसी वित्तीय वर्ष में पिछले सभी निर्गमों का औसत पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार निर्गम-पूर्व उसकी निवल संपत्ति से पांच गुना अधिक न हो।

भारत के बाहर निम्नलिखित में से किसी को निर्गम की पेशकश या उसकी बिक्री की जा सकती है:- (i) संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल उन व्यक्तियों को, जिनको तार्किक रूप से "अहर्ताप्राप्त संस्थागत क्रेता" के रूप में माना जाता है जैसाकि यथा-संशोधित 1933 के संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम (प्रतिभूति अधिनियम) के नियम 144ए में परिभाषित किया गया है (एक अपवाद को छोड़कर या उस सौदे में जो प्रतिभूति अधिनियम और लागू राज्य प्रतिभूति कानूनों की पंजीकरण अपेक्षाओं के अधीन न हो); और (ii) संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर तटीय सौदों में प्रतिभूति अधिनियम के सामंजस्य से विनियम S के संबंध में।

आईसीडीआर विनियमों के अधीन, पेशकश दस्तावेज में सम्मिलित लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े छह महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए – 144ए के अधीन निर्गम के मामले में ऐसे वित्तीय आंकड़े 135 दिन से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

मध्यस्थ और सलाहकार

- बही संचालक अग्रणी प्रबंधक
- लेखापरीक्षक
- विधिक परामर्शदाता: घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय
- निर्गम के पंजीयक
- डिपॉजिटरीज (एनएसडीएल/सीडीएसएल)
- सिंडिकेट सदस्य
- एस्करो कलेक्शन बैंक (रिफंड बैंकों सहित)
- विशेषज्ञ, यदि कोई हों
- आईपीओ ग्रेडिंग एजेंसी (असूचीबद्ध कंपनियों के लिए)

सौदा करार/महत्वपूर्ण दस्तावेज

- सलाहकारों के नियुक्ति पत्र
- लेखापरीक्षकों के अनापत्ति पत्र
- पंजीयक करार
- निर्गम करार
- सिंडिकेट करार
- एस्करो करार
- खरीद करार
- प्रबंधन तथा अन्य से अपेक्षित उचित कार्रवाई प्रमाण पत्र तथा वचनबद्धता
- सेबी के पास पंजीकृत करने के लिए अपेक्षित मध्यस्थों से सेबी पंजीकरण प्रमाण पत्रों सहित निर्गम में सम्मिलित विशेषज्ञों तथा मध्यस्थों से सहमति पत्र

सौदा करार/महत्वपूर्ण दस्तावेज

- आईपीओ ग्रेडिंग रिपोर्ट (असूचीबद्ध कंपनियों के लिए)
- विधिक राय (10बी-5 स्टाइल प्रकटीकरण पत्र सहित)

सूचीकरण करार तथा निगमित नियंत्रण

मामले	अपेक्षाएं
निगमित नियंत्रण क्या है ?	कंपनी के मालिकों, प्रबंधकों तथा शेयरधारकों के बीच विभाजित अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों की, एक सूचीबद्ध कंपनी तथा उस स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें शेयर सूचीबद्ध हैं, के बीच मानक इक्विटी सूचीकरण करार के अधीन (विशेषकर खंड 49 के अधीन), कुछ अनिवार्य तथा अनुशंसनीय प्रावधानों में व्यवस्था की गई है।
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति	खंड 49 के अनुसार जहां कंपनी में कार्यकारी अध्यक्ष हो, वहां बोर्ड में कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और जहां कंपनी में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हो, वहां बोर्ड में कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। इसके अलावा, जहां कंपनी की एक या एक से अधिक मूर्त असूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी हो (अर्थात कारोबार और/या निवल संपत्ति के आधार पर) वहां उसके बोर्ड में से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को उस मूर्त असूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।
निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता	कंपनी के निदेशक मंडल के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करना अपेक्षित है। इस संहिता को कंपनी की वेबसाइट पर डालना अपेक्षित है। बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन वार्षिक आधार पर संहिता का अनुपालन करने की प्रतिज्ञा करेंगे और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में इस आशय की एक घोषणा सम्मिलित होगी जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।
लेखा समीक्षा समिति	सूचीकरण करार के खण्ड 49 में यह अपेक्षित है कि कंपनी एक लेखा समीक्षा समिति का गठन करे जिसके सभी सदस्यों को वित्त संबंधी ज्ञान हो और कम से कम एक सदस्य लेखांकन/वित्त प्रबंधन का विशेषज्ञ होना चाहिए। गणपूर्ति में या तो दो सदस्य होंगे या लेखा समीक्षा समिति के एक तिहाई सदस्य होंगे, इनमें से जो भी अधिक हो परंतु कम से कम दो स्वतंत्र सदस्य मौजूद होने चाहिए। लेखा समीक्षा समिति की भूमिका में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों तथा आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा सहित वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी तथा विस्तृत ब्लोअर तंत्र तथा स्थायी लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

	<p>शामिल है। लेखापरीक्षा समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित करना अपेक्षित है और दो बैठकों के बीच चार माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।</p>
<p>शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन</p>	<p>सूचीकरण करार के खण्ड 49 में अपेक्षित है कि कंपनी, विशेष रूप से शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए गैर-कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन करे।</p>
<p>पारिश्रमिक/क्षतिपूर्ति समिति</p>	<p>सूचीकरण करार में कंपनी की पारिश्रमिक नीतियों को अंतिम रूप देने के लिए एक पारिश्रमिक समिति का गठन करने की सिफारिश की गई है। यदि कंपनी के पास कर्मचारी स्टॉक विकल्प या स्टॉक खरीद स्कीम हो तो भारत के प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम और कर्मचारी स्टॉक खरीद स्कीम) दिशा-निर्देश 1999, यथा-संशोधित, के अनुसार स्कीम को नियंत्रित करने के लिए एक क्षतिपूर्ति समिति का गठन अनिवार्य है।</p>
<p>विस्तार ब्लोअर नीति</p>	<p>सूचीकरण करार में सिफारिश की गई है कि कंपनी को अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा तंत्र स्थापित करना चाहिए जो प्रबंधन के संबंधित अधिकारियों को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक और संदेहपूर्ण धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दे।</p>
<p>भीतरी खरीद-फरोख्त</p>	<p>भारत के प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (बिक्री खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध) विनियम, 1992, यथा-संशोधित, में अपेक्षित है कि एक सूचीबद्ध कंपनी एक भीतरी खरीद-फरोख्त संहिता का सूत्रीकरण करे जिससे उसके कर्मचारियों द्वारा (प्रत्यक्ष तौर पर या उनके संबंधियों या अन्य व्यक्तियों के माध्यम से) भीतरी खरीद-फरोख्त की रोक-थाम की जा सके। इन विनियमों में मूर्त अप्रकाशित मूल्य संवदेी जानकारी की गोपनीयता अनिवार्य है और एक आदर्श आचार संहिता की व्यवस्था भी है। इसके आधार पर कंपनी अपनी स्वयं की भीतरी खरीद-फरोख्त संहिता आधारित कर सकती है। सूचीबद्ध कंपनी के कर्मचारियों के लिए उस कंपनी की प्रतिभूतियों में खरीद-फरोख्त करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करना और उपयुक्त प्रकटीकरण करना अपेक्षित है।</p>

सीपीएसई अधिसूचना

मामले	अनुदेश
कर्मचारियों द्वारा निर्गम में भागीदारी और शेयरों की खरीद-फरोख्त	<p>लोक उद्यम विभाग ने कुछ कार्यालय ज्ञापन (अन्य के अलावा, दिनांक 16 जून, 28 जुलाई और 11 अगस्त, 2009) जारी किए हैं, जो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू हैं, जो आईपीओ या एफपीओ की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में शामिल हों और/या जिनके पास शेयरों के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदी जानकारी हो।</p> <p>संक्षेप में, कोई कार्यकारी अधिकारी या कर्मचारी (पूर्णकालिक निदेशक सहित) जो किसी आईपीओ या एफपीओ की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में शामिल हो, उसे प्रत्यक्ष तौर या पारिवारिक सदस्य के माध्यम से या उसकी ओर से कार्रवाई करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से निम्नलिखित की अनुमति नहीं है:</p> <ul style="list-style-type: none">• ऐसी पेशकश में इक्विटी संबंधी दस्तावेजों के आबंटन के लिए आवेदन करना।• उसके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदी जानकारी रहते हुए पेशकश करने वाले कंपनी के इक्विटी संबंधी दस्तावेजों के संबंध में कार्रवाई करना या खरीद-फरोख्त करना; बशर्ते केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के सभी कर्मचारियों के लिए 20,000 या उससे अधिक के मूल्य के उस कंपनी के शेयरों की ऐसी खरीद-फरोख्त की जानकारी कंपनी को देना अपेक्षित हो जिसमें मात्रा, मूल्य, खरीद की तारीख और उसमें उनके हित की प्रकृति दर्शायी गयी हो।